



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-129
117128

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1365

दिनांक 7/7/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।


क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्री राहुल सिंघवी पुत्र श्री लखपत राज सिंघवी	श्री राहुल सिंघवी पुत्र श्री लखपत राज सिंघवी	श्री राहुल सिंघवी पुत्र श्री लखपत राज सिंघवी	डी-239	आवासीय	मोती भवन गृ. नि.स.स. की योजना हनुमान नगर	555.55 वर्गगज	मिश्रित (30 मीटर गहराई तक)	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।
जोन-7, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती बबीता अग्रवाल	श्रीमती बबीता अग्रवाल	37, 38	683.32 व.ग.	नेहरू गृ.नि.स.स.	रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र आदि।
2	श्रीमती शोभना अग्रवाल	श्रीमती शोभना अग्रवाल	82, 83	683.32 व.ग.	नेहरू गृ.नि.स.स.	रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र आदि।


उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी- 1361

दिनांक :- 7/7/2023

उपायुक्त जोन-7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1360

दिनांक 7/7/2023

आम सूचना

छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना राठौड़ नगर के भूखण्ड संख्या 178-ए क्षेत्रफल 278.53 व.ग. के समीप स्थित 112.79 व.ग. रिजर्व भूमि आवंटन किये जाने हेतु भूखण्ड संख्या 178-ए के पट्टाधारी श्री राकेश लीला पुत्र श्री दुलीचन्द लीला एवं श्री दिव्य लीला पुत्र स्व. श्री सुन्दर श्याम लीला द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः उक्त स्ट्रिप ऑफ लैण्ड आवंटन के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
उपायुक्त जयपुर प्राधिकरण
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है,
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा. जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री रवि पुत्र श्री मुन्नालाल	स्व. श्रीमती प्रेम पत्नी स्व. श्री मदन लाल	10/ओबीडी /48	50 व. मी.	जविप्रा	रिंग रोड योजना ग्राम लखेसरा	नाम हस्तानान्तरण एवं लीजडीड हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा एवं रजिस्टर्ड उपहार पत्र

उपायुक्त(जोन-10)
जविप्रा, जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1434

दिनांक: 07/07/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:-आग सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गुलाब बाड़ी गृह निर्माण राहकारी समिति की योजना वर्धमान नगर वी ब्लॉक के पुराना भूखण्ड संख्या 881 नया 81 क्षेत्रफल 240.00व.ग श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गगनदास दास अग्रवाल द्वारा जोन में फ्री-होल्ड/पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड ग्राम बदरवास के खसरा नम्बर 111 व 112 पर सृजित होना पाया गया है। उक्त भूखण्ड का आंशिक भाग ग्राम बदरवास के खसरा नम्बर 111 व 112 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि वर्तमान में खातेदार के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड वज पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)
जयपुरा, जयपुर।
D/C ✓

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जयपुरा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/23/डी- 1181
दिनांक:- 07/02/27



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन-12 / 2023 / डी- 8434

दिनांक : 7-7-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय - 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राजस स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

yh 07/07/23

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8434

दिनांक : 07.07.2023

लोकसूचना


ब्राइट मेटल्स (इण्डिया) प्राइवेट लि. जरिये निदेशक श्री आशीष पोरवाल निवासी-एफ-671, रोड नं.-9, एफ-2, वीकेआई एरिया, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 प्रोविजन 3ए उपयोग के स्थान पर सामान्य आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए हेतु निम्नलिखित भूमि का आवेदन प्रस्तुत किया है :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील/ व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा)	वर्तमान स्वामित्व
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	ब्राइट मेटल्स (इण्डिया) प्राइवेट लि. जरिये निदेशक श्री आशीष पोरवाल निवासी-एफ-671, रोड नं.-9, एफ-2, वीकेआई एरिया, जयपुर।	1734/1	0-14-00	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
			1048/1	01-07-00	
			1049/1	00-05-00	
			कुल	2 बीघा 06 बिस्वा	

अतः उक्त भूमि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 प्रोविजन 3ए उपयोग के स्थान पर सामान्य आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा प्रकरण में संशोधित 90ए की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.07.2023 को जारी की गयी।


07/07/23
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जदिप्रा/जोन-14/2023/डी-1339

दिनांक 7/7/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सडक (शिवदासपुरा फाटक से पहले रेलवे लाईन के सामान्तर सेक्टर सडक) एवं 100 फीट मिंसिंग रोड (टोक रोड से चंदलाई बाध को जोड़ने वाली सडक) में आ रही भूमि ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू के ख.न. 2710/6666 रकबा 6600 व.मी. ख.न. 2710/6675 रकबा 2100 व.मी. में खातेदार गजराज सिंह, भवानी सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, पृथ्वीराज सिंह, राजबहादुर सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह, मगन कवर पत्नी श्री शिवराज सिंह निवासी ग्राम दातली तहसील सांगानेर, जयपुर, ख.न. 1013, रकबा 400 व.मी. ख.न. 1014 रकबा 600 व.मी. में खातेदार गुड्डी देवी पुत्री श्री रामनिवास, गोविन्दी देवी पुत्री श्री रामनिवास, नाथी देवी पत्नी रामनिवास, रामेश्वर पुत्र श्री रामनिवास, ख.न. 1015 रकबा 400 व.मी. में खातेदार उर्मिला देवी पत्नी श्री प्रेमचंद, जगदीश पुत्र शंकर, ताराचंद पुत्र गणपतलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्र गणपतलाल, नाथी देवी पत्नी श्री रामनारायण, पार्वती देवी पत्नी श्री छोटीलाल, भगवान पुत्र शंकर, रामजीलाल पुत्र गोगाराम, रामप्यारी पत्नी शंकर, रामफूल पुत्र शंकर, ललिता देवी पुत्री गणपतलाल, कुल किता 5 कुल रकबा 10066 व.मी. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनाम व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-1938

दिनांक 7/7/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 512, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 528, 529, 530 कुल किता 10 कुल रकबा 2.1919 हैक्ट के खातेदार ओमप्रकाश, बाबूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल माली एवं पांचूराम पुत्र श्री भागीरथ निवासी भागीरथ की ढाणी, जयसिंहपुरा वास, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपर्युक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - +91-141-2574555 (मुख्य) / +91-141-2574556 (सहायक) / +91-141-2574557 (सहायक) / +91-141-2574558 (सहायक) / +91-141-2574559 (सहायक) / +91-141-2574560 (सहायक) / +91-141-2574561 (सहायक) / +91-141-2574562 (सहायक) / +91-141-2574563 (सहायक) / +91-141-2574564 (सहायक) / +91-141-2574565 (सहायक) / +91-141-2574566 (सहायक) / +91-141-2574567 (सहायक) / +91-141-2574568 (सहायक) / +91-141-2574569 (सहायक) / +91-141-2574570 (सहायक) / +91-141-2574571 (सहायक) / +91-141-2574572 (सहायक) / +91-141-2574573 (सहायक) / +91-141-2574574 (सहायक) / +91-141-2574575 (सहायक) / +91-141-2574576 (सहायक) / +91-141-2574577 (सहायक) / +91-141-2574578 (सहायक) / +91-141-2574579 (सहायक) / +91-141-2574580 (सहायक) / +91-141-2574581 (सहायक) / +91-141-2574582 (सहायक) / +91-141-2574583 (सहायक) / +91-141-2574584 (सहायक) / +91-141-2574585 (सहायक) / +91-141-2574586 (सहायक) / +91-141-2574587 (सहायक) / +91-141-2574588 (सहायक) / +91-141-2574589 (सहायक) / +91-141-2574590 (सहायक) / +91-141-2574591 (सहायक) / +91-141-2574592 (सहायक) / +91-141-2574593 (सहायक) / +91-141-2574594 (सहायक) / +91-141-2574595 (सहायक) / +91-141-2574596 (सहायक) / +91-141-2574597 (सहायक) / +91-141-2574598 (सहायक) / +91-141-2574599 (सहायक) / +91-141-2574600 (सहायक)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 7/7/23

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-1939

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 30 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.0387 हैक्ट. ख.नं. 1052 रकबा 0.0388 हैक्ट. ख.नं. 1056 रकबा 0.0201 हैक्ट. ख.नं. 1057 रकबा 0.0018 हैक्ट. ख.नं. 1058 रकबा 0.0228 हैक्ट. ख. नं. 1059 रकबा 0.0379 हैक्ट. ख.नं. 1060 रकबा 0.0683 हैक्ट. ख.नं. 1063 रकबा 0.0259 हैक्ट. ख.नं. 1071 रकबा 0.0075 हैक्ट. ख.नं. 1072 रकबा 0.0721 हैक्ट. ख.नं. 1075 रकबा 0.0190 हैक्ट. कुल किता 11 कुल रकबा 0.3527 हैक्ट. के खातेदार श्री विजय अरोडा पुत्र श्री एम.एल. अरोडा निवासी- 19, नेमीनगर, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बायत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संघटित विवाद हो तो कृपया उपर्युक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संघटित प्रस्तावनात्मक आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

रामकिशोर ध्यास भवन, इन्दिरा सक्ति, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-01-141-2574555 (संयोजित कार्यालय) : फ़ोन-01-141-2560698 पब्लिशिंग: (संयोजित कार्यालय) फ़ोन- 01-141-2574555

ई-मेल : (संयोजित कार्यालय का ई-मेल)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102638

दिनांक: 07/07/2023

लोक सूचना

श्री तरुण गोयल पुत्र श्री ताराचन्द्र गोयल जाति महाजन म.नं. 9-10, शुभम एनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मदाऊ, सांगानेर (जयपुर)	श्री तरुण गोयल पुत्र श्री ताराचन्द्र गोयल जाति महाजन म.नं. 9-10, शुभम एनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर।	683/362	1265	रकबा 0.24 हैक्ट में से रकबा 0.1265 हैक्ट.
कुल					0.1265

इसलिए, इसके द्वारा सगस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07-07-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102672

दिनांक: 07/07/2023

लोक सूचना


श्री तरुण गोयल पुत्र श्री ताराचन्द गोयल जाति महाजन निवासी जी-02, विनोवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आयासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मदाऊ, सांगानेर (जयपुर)	श्री तरुण गोयल पुत्र श्री ताराचन्द गोयल जाति महाजन निवासी जी-02, विनोवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।	375	1800	0.18
			691/679	300	0.03
				कुल	0.21

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07-07-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102670

दिनांक: 06/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स सेकेड हाउसिंग प्रा.लि. जारिये निदेशक श्री राजय चौधरी पंजीकृत कार्यालय आर-7, वृन्दावन सिटी विस्तार अजमेर रोड जयसिंहपुरा वास भांकरोटा, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स सेकेड हाउसिंग प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय आर-7, वृन्दावन सिटी विस्तार अजमेर रोड जयसिंहपुरा वास भांकरोटा, जयपुर।	1283 / 1045	600	0.06
			1291 / 1041	100	0.010
कुल					0.07

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) शाईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार नामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06-07-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102671

दिनांक: 06/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स शिवनीम रिटेल्लस प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नवलकिशोर गुप्ता पंजीकृत कार्यालय 467, गोपालपुरा वाईपास, सूर्य नगर लाल कोठी, गांधी नगर, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर, (जयपुर)	मैसर्स शिवनीम रिटेल्लस प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 467, गोपालपुरा वाईपास, सूर्य नगर लाल कोठी, गांधी नगर, जयपुर	1284 / 1045	180	रकबा 0.07 हेक्ट. में से रकबा 0.0180 हेक्ट.
			1294 / 1056	500	0.05
कुल					0.0680

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 06-07-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्र/उपा. जोन-8/2022/डी-1773

दिनांक 6/7/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सहमति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान 2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	08	श्री रजित अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	श्री रजित अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता	एफ-119	आवासीय	विधानसभा नगर एफ ब्लॉक (संयुक्त गृ.नि.स.स)	375.42 व.ग.	सेक्टर व्यावसायिक व आवासीय	मिश्रित भू-उपयोग

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निर्देशक-नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक-मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जोन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापन के लघुरूप का गिनाचुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन-12 / 2023 / डी- 8443

दिनांक : 7-7-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय — 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राज्स स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराया जा का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8441

दिनांक : 07.07.2023

लोकसूचना

श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी-ठिकरिया सांगोनर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वेयर हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	दहमीकलाखुर्द, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश	213	19500.00	1.95
कुल					1.95

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा प्रकरण में 90ए की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.07.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8442

दिनांक : 07.07.2023

लोकसूचना

श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री कजोडीलाल, निवासी-महात्मा गांधी नगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री कजोडीलाल	581/347	1300.00	0.1300
कुल					0.1300

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा प्रकरण में 90ए की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.07.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सालगरामपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त
जोन-14
जयपुर
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1338

दिनांक:- 07/07/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102669

दिनांक: 07/07/2023

लोक सूचना

श्री M/S AJD AFFORDABLE HOUSING LLP PARTNER SALMAN KHAN पुत्र श्री CHHOTU KHAN जाति MUSLIM निवासी WARD NO 25, SHITLA MATA CHAKSHU JAIPUR

श्री GIRIRAJ BAIRWA पुत्र श्री SHIV PRASAD BAIRWA जाति BAIRWA निवासी MANPUR DUNGRI SHIVDASPURA JIPUR

श्री M/S VINAYAK VATIKA PROPRIETOR PANKAJ CHATURVEDI पुत्र श्री SANTOSH KUMAR जाति BHARAMAN निवासी B-123, MODEL TOWN B, MALVIYA NAGAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GIRIRAJ BAIRWA S/O SHIV PRASAD BAIRWA	375	2800	0.28
2.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GIRIRAJ BAIRWA S/O SHIV PRASAD BAIRWA	532/373	2100	0.21
3.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GIRIRAJ BAIRWA S/O SHIV PRASAD BAIRWA	534/376	1400	0.14
4.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	M/S VINAYAK VATIKA	259	5400	0.54
5.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	M/S VINAYAK VATIKA	536/390	1200	0.12
6.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	AJD AFFORDABLE HOUSING LLP	525/422	1900	0.19
7.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	AJD AFFORDABLE HOUSING LLP	523/422	5058	0.5058
कुल					1.9858

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ

आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **07-07-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर